[2019] 2 एस. सी. आर. 507

/

विजय ए. मित्तल एंड ओआरएस बनाम

कुलवंत राय (मृत) टीएचआर। एलआरएस. और एएनआर. (2009 की सिविल अपील No.5177)

/

28 जनवरी, 2019

[अभय मनोहर सप्रे और इंदु मल्होत्रा**,** जे**.** जे**.]**

मुकदमा-समझौते का विशिष्ट प्रदर्शन-वादी-प्रत्यर्थियों और प्रतिवादी संख्या के बीच दिनांकित 12.06.1979 समझौता।1 (अब उनके कानूनी प्रतिनिधियों, अपीलार्थी एन. ओ. एस. द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। 1 से 4 और 7) मुकदमे की संपत्ति की बिक्री के लिए Rs.46,000/- के लिए-वादी ने विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा दायर किया जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने प्रतिवादी नं.1 और समझौते के अपने हिस्से का पालन करने के लिए तैयार थे, हालांकि प्रतिवादी नहीं।1 मुक़दमे की संपत्ति को प्रतिवादी संख्या को बेच दिया।2 और 3 (अपीलार्थी संख्या।5 & 6, क्रमशः) Rs.48,000/- के लिए-यद्यपि विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वादी समझौते के अपने हिस्से का प्रदर्शन करने के लिए तैयार और इच्छुक थे, लेकिन मुकदमे को खारिज कर दिया-वादी ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील दायर की, जिसे अनुज्ञात गई थी-प्रतिवादियों द्वारा चुनौती दी गई-उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील को खारिज कर दिया-अपील पर, अभिनिर्धारित कियाःकिसी समझौते के विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमे में तैयारी और इच्छा के मुद्दे पर निष्कर्ष निकालना महत्वपूर्ण और प्रासंगिक निष्कर्षों में से एक है-एक बार दर्ज होने के बाद, यह तथ्य का निष्कर्ष बन जाता है-जब नीचे दिए गए तीन न्यायालय प्रतिवादियों के खिलाफ और वादी के पक्ष में निर्णय देते हैं कि वे समझौते के अपने हिस्से का प्रदर्शन करने के लिए तैयार थे और इच्छुक थे, तो यह निष्कर्ष उच्च न्यायालय और इस न्यायालय पर भी बाध्यकारी था-प्रतिवादी वादी द्वारा दायर अपील में पहले अपीलीय चरण में इसकी वैधता को चुनौती देने में विफल रहे-उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों की दूसरी अपील को खारिज करके इसे बरकरार रखा-प्रतिवादी नं.1 प्रतिवादी संख्या के पक्ष में।2 और 3 वादी के समझौते से बचने के लिए एक मिली-जुली बिक्री थी-12.06.1979 दिनांकित समझौता प्रतिवादी नं.1 – प्रतिवादी आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप के लिए कोई मामला बनाने में विफल रहे-1982 से लंबित पक्षों के बीच मुकदमेबाजी को समाप्त करने और पक्षों के बीच इक्विटी को संतुलित करने के लिए, प्रतिवादी नं।1 के कानूनी प्रतिनिधियों को Rs.48,000/- की राशि वापस करने के लिए अपने कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से

/

/

/

/

/

/

507 ए.

508 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 2 एस. सी. आर.

प्रतिवादी नं.2 (अपीलार्थी सं. 5) और प्रतिवादी सं.3 (अपीलार्थी सं. 6)-आदेश को निर्देश के अनुसार और संशोधित किया गया-भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 -एस. 65-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-Or.22,आर. 4 (2)-भारत का संविधान-Art.142-डिक्री।

पारिवारिक विधि -संयुक्त हिंदू पारिवारिक संपत्ति-कर्त्ता की शक्तियाँ-आयोजितःसंयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति को बेचने की कर्ता की शक्ति उसमें निहित है-हालाँकि, यह कुछ प्रतिबंधों के अधीन है, अर्थात्, बिक्री कानूनी आवश्यकता और परिवार के लाभ के लिए होनी चाहिए।

/

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

/

अभिनिर्धारित किया **:1.1** जब नीचे दिए गए तीन न्यायालय ों ने प्रतिवादियों के खिलाफ और वादी के पक्ष में निर्णय दिया कि वादी समझौते के अपने हिस्से का पालन करने के लिए तैयार और इच्छुक थे, तो यह निष्कर्ष उच्च न्यायालय और इस न्यायालय पर भी बाध्यकारी था।तैयारी और इच्छा के मुद्दे पर एक निष्कर्ष एक समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमे में महत्वपूर्ण और प्रासंगिक निष्कर्षों में से एक है।यह तथ्यों पर आधारित एक खोज है और एक बार इसे दर्ज करने के बाद, यह तथ्य की खोज बन जाती है।**[**पारस **19,21] [513-**ई-एफ, जी-एच**; 514-**ए**]**

/

1.2 मामले के इस दृष्टिकोण में, जब तक कि ऐसा निष्कर्ष अभिवचनों के खिलाफ या साक्ष्य या मुद्दे को नियंत्रित करने वाले विधि के विपरीत नहीं पाया जाता है, यह उच्च न्यायालय और इस न्यायालय पर भी बाध्यकारी है।अपीलकर्ता इस निष्कर्ष में किसी भी दुर्बलता या अवैधता को इंगित करने में सक्षम नहीं थे।यह इस तथ्य के अलावा है कि अपीलकर्ता **(**प्रतिवादी**)** वादी द्वारा दायर अपील में पहले अपीलीय चरण में इसकी वैधता और शुद्धता को चुनौती देने में विफल रहे, जो चुनौती देने के लिए उचित चरण था।इसलिए यह इस न्यायालय के लिए बाध्यकारी है।**[**पारस **22,23] [514-**बी-सी**]**

/

/

1.3 प्रतिवादी सं. द्वारा की गई बिक्री।**1** प्रतिवादी संख्या के पक्ष में।**2** और **3** वादी के समझौते से बचने के लिए की गई एक मिली-जुली बिक्री थी।नीचे दिए गए न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित करते हुए न्यायसंगत ठहराया कि **12.6.1979** दिनांकित समझौता प्रतिवादी नं.**1. [**पारस **36,42] [516-**ए-बी**; 517-**सी-डी**]**

/

1.4 संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति को बेचने के लिए कर्ता की शक्ति पर कोई विवाद नहीं कर सकता है।वास्तव में**,** यह उसमें अंतर्निहित है।हालांकि**,** यह कुछ प्रतिबंधों के अधीन है**,** अर्थात्**,** बिक्री ए

/

यह कानूनी आवश्यकता और परिवार के लाभ के लिए होना चाहिए।प्रतिवादी नं.**1** वादी को वाद संपत्ति की बिक्री के लिए समझौता करने से पहले कानूनी उत्तराधिकारियों की सहमति प्राप्त की थी। तथ्य यह है कि प्रतिवादी का एक बेटा नहीं।**1** समझौते का एक हस्ताक्षरकर्ता था जो यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त था कि बेचने का समझौता प्रतिवादी नं।**1** अन्य सह-भागीदारों की सहमति से। इसका कारण यह भी है कि मुकदमे में लिखित बयान दाखिल होने तक किसी भी सह-पक्षकार ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी।तथ्य यह है कि प्रतिवादी नहीं।**1** मुक़दमे की संपत्ति को प्रतिवादी एन**.** ओ**.** एस**.** को बेच दिया। **2** और **3** और जिस पर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा आपत्ति नहीं की गई थी**,** यह दर्शाता है कि कानूनी आवश्यकता के संबंध में याचिका का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं था।अपीलार्थी **(**प्रतिवादी**)** कोई भी मामला बनाने में विफल रहे हैं ताकि आक्षेपित निर्णय में किसी भी हस्तक्षेप का आह्वान किया जा सके।**[**पारस **44-46] [517-F-H; 518-A]**

/

/

1.5 यह न्यायसंगत और उचित माना जाता है और पक्षकारों के बीच इस मुकदमे को समाप्त करने की दृष्टि से**,** जो **1982** से लंबित है और पक्षकारों के बीच समानता को संतुलित करने के लिए भी कि प्रतिवादी संख्या **1** अपने कानूनी प्रतिनिधियों **(**अपीलार्थी संख्या **1-4** और **7)** के माध्यम से प्रतिवादी संख्या **1** के कानूनी प्रतिनिधियों को **Rs.48,000/-** की राशि वापस करेगा।**2 (**अपीलार्थी सं**. 5)** और प्रतिवादी सं**. 3 (**इसमें अपीलार्थी सं**. 6)**।यह निर्देश एल**.** आई**.** एस**.** के पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए दिया जाता है क्योंकि कोई नहीं चाहता कि इस राशि की वसूली के लिए प्रतिवादियों के बीच भविष्य में वर्षों तक मुकदमे का एक और दौर चले।**[**पैरा **52] [519-**एफ-जी**]**

/

/

1.6 निर्णय और डिक्री को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

/

((i) प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधि सं।**1 (**अपीलार्थी **Nos.1-4** और **7)** रुपये की राशि जमा करेगा। **48, 000/-** प्रतिवादी सं**.** के कानूनी प्रतिनिधियों को भुगतान करने के लिए निष्पादन न्यायालय में। **2** और प्रतिवादी नं।**3 (**अपीलार्थी सं**. 6)** बाहरी सीमा के रूप में तीन महीने के भीतर।

/

((ii) मूल वादी सं**. 1 (**प्रतिवादी सं**. 1)** और वादी सं**. 1** के कानूनी प्रतिनिधि।**2 (**प्रतिवादी सं**. 2)** मूल प्रतिवादी सं**. 2** के कानूनी प्रतिनिधियों को भुगतान किए जाने के लिए निष्पादन न्यायालय में **Rs.41,000/-** की राशि जमा करेगा।**1 (**अपीलार्थी **(**आई**.** डी**. 1** से **4** और **7)** बाहरी सीमा के रूप में तीन महीने के भीतर।

/

/

((ग**)** मूल प्रतिवादी सं।**1,** अब उनके कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है **(**अपीलार्थी **Nos.1-4 &7)** मूल प्रतिवादी सं**.** के कानूनी प्रतिनिधियों के साथ। **2** और प्रतिवादी सं। **3 (**इसमें अपीलकर्ता संख्या **6)** मूल वादी संख्या **1 (**इसमें प्रतिवादी संख्या **1)** और वादी संख्या **2 (**इसमें प्रतिवादी संख्या **2)** के कानूनी प्रतिनिधियों के पक्ष में बिक्री विलेख को संयुक्त रूप से निष्पादित करेगा और उन्हें सूट संपत्ति का कब्जा एक साथ सौंप देगा और फिर न्यायालय में उनके लिए जमा किए गए धन को वापस ले लेगा।**[**पैरा **53] [520-**ए-डी**]**

/

सुनील कुमार और एन**.** आर**.** वी**.**राम प्रकाश और अन्य। **(1988) 2**

एससीसी 77:[1988] 2 एस. सी. आर. 623; लाला दुर्गा प्रसाद और

/

एन**.** आर**.** वी**.**दीप चंद और ओआरएस। ए**.** आई**.** आर **1954** एस**.** सी**. 75:**

[1954] एस**.** सी**.** आर**. 360-**पर निर्भर।संदर्भित निर्णय

[1988] 2 एस**.** सी**.** आर**. 623** पैरा **41 [1954]** एस**.** सी**.** आर**. 360** पैरा **50** पर निर्भर था।

/

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2009 की सिविल अपील No.5177।

1993 के आर. एस. ए. <आई. डी. 2 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।आर. के. कपूर, सुश्री खेयाली, रजत कपूर, सुश्री श्वेता कपूर, अनीस अहमद खान, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

/

जगजीत सिंह छाबड़ा, मनोज स्वरूप, अंकित स्वरूप, सुश्री तान्या स्वरूप, अजय कुमार, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अभय मनोहर सप्रे, जे. 1.यह अपील निर्देशित है

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 1993 के आर. एस. ए. आर. एस. ए. आर. एस. ए.

के. गोयल और प्रतिवादी सं. 2 (अतुल कुमार) उस दीवानी मुकदमे में मूल वादी सं. 2 हैं जिसमें से यह अपील उठती है।

/

4. संक्षेप में, जिस दीवानी मुकदमे से यह अपील उत्पन्न होती है, वह मूल रूप से एक व्यक्ति द्वारा दायर किया गया था-कुलवंत राय वादी संख्या 1 के रूप में और अतुल कुमार वादी संख्या 2 के रूप में प्रतिवादियों के खिलाफ, अर्थात् (1) अमर नाथ, (2) यश पाल मित्तल, (3) सुनील मित्तल और (4) बाल किशनदास।

/

5. दीवानी मुक़दमे के लंबित रहने के दौरान, कुलवंत राय (वादी संख्या 1), अमर नाथ (प्रतिवादी संख्या 1) और यशपाल मित्तल (प्रतिवादी संख्या 2) की मृत्यु हो गई और इसलिए, उनके कानूनी प्रतिनिधियों, जिन पर मुकदमा करने का अधिकार ऊपर वर्णित किया गया था, को दीवानी मुक़दमे में मूल वादी/प्रतिवादियों के स्थानों पर दर्ज किया गया ताकि वे मरने वालों की ओर से मुक़दमा जारी रख सकें।

/

6. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, दो उपरोक्त वादी (यहाँ उत्तरदाताओं) ने उपरोक्त चार प्रतिवादियों (यहाँ अपीलकर्ताओं) के खिलाफ 19.03.1982 पर एक दीवानी मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि नारायण दास भवन, दुर्गा चरण रोड, अंबाला कैंट में स्थित वाद संपत्ति (जैसा कि शिकायत में विस्तृत है) के संबंध में दिनांकित 12.06.1979 समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन से राहत मिली है।

/

7. यह मुकदमा वादी और प्रतिवादी नंबर 1 (अमर नाथ) के बीच मुकदमे की संपत्ति को Rs.46,000/- की राशि में बेचने के लिए किए गए समझौते पर आधारित था।वादियों के अनुसार, उन्होंने प्रतिवादी संख्या 1 (अमर नाथ) को बकाया राशि के रूप में 5,000/- रुपये का भुगतान किया और वाद संपत्ति के संबंध में बिक्री विलेख को प्रतिवादी संख्या 1 (अमर नाथ) द्वारा उप-पंजीयक के समक्ष शेष राशि का भुगतान करने पर वादी के पक्ष में 31.12.1979 पर या उससे पहले निष्पादित किया जाना था।

/

/

8. यह आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी संख्या 1 (अमर नाथ) ने दिनांकित समझौते के संदर्भ में वादी को मुकदमा संपत्ति बेचने के बजाय इसे प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को 27.11.1981 पर बेच दिया।वादियों ने

/

512

/

[2019] 2 एस सी आर।

आरोप लगाया कि वे समझौते के अपने हिस्से का पालन करने के लिए तैयार थे, लेकिन यह प्रतिवादी नंबर 1 (अमर नाथ) था जो अपनी भूमिका निभाने में विफल रहा और उसने प्रतिवादी नंबर 2 और 3 को मुकदमे की संपत्ति को अधिक कीमत पर बेचकर उल्लंघन किया और इसलिए, वादी दिनांकित समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन की मांग के लिए मुकदमा दायर करने के लिए विवश थे।

/

9. प्रतिवादी नंबर 1 (अमर नाथ) की मृत्यु हो गई और इसलिए, वह अपना लिखित बयान दाखिल नहीं कर सके।हालाँकि, उनके कानूनी प्रतिनिधियों ने लिखित बयान दाखिल किया।उनका डिफेंस तीन गुना था।

10. पहला-अमर नाथ (प्रतिवादी संख्या 1) मुकदमे की संपत्ति का पूर्ण मालिक नहीं था क्योंकि मुकदमे की संपत्ति एक संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति थी; दूसरा, अमर नाथ (प्रतिवादी संख्या 1), इसलिए, मुकदमे की संपत्ति को बेचने के लिए एक समझौता करने में सक्षम नहीं था; और तीसरा, प्रश्न बिक्री किसी भी विधि ी आवश्यकता के लिए नहीं थी और इसलिए, यह विधि ी रूप से खराब थी और विधि ी प्रतिनिधियों पर बाध्यकारी नहीं थी क्योंकि बिक्री का समझौता करने से पहले अमर नाथ (प्रतिवादी संख्या 1) द्वारा उनकी सहमति प्राप्त नहीं की गई थी।

/

/

11. जहाँ तक प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का संबंध है, उन्होंने अपना लिखित बयान दाखिल किया। उन्होंने स्वीकार किया कि मुकदमे की संपत्ति अमर नाथ (प्रतिवादी संख्या 1) की थी।उन्होंने कहा कि उन्होंने समझौते के अनुसार अमर नाथ से सूट संपत्ति खरीदी, जो उन्होंने वर्ष 1978 में उनके साथ किया था।उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें वादी के समझौते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और इसलिए, वे मुकदमे की संपत्ति के वास्तविक खरीदार थे।

/

12. विचारण न्यायालय ने 22.11.1991 दिनांकित निर्णय/डिक्री द्वारा मुकदमे को खारिज कर दिया।यह अभिनिर्धारित किया गया कि 12.06.1979 दिनांकित समझौता सिद्ध हो गया है; वादी समझौते के अपने हिस्से का पालन करने के लिए तैयार और इच्छुक थे, लेकिन क्योंकि अमर नाथ वादी के साथ समझौते में प्रवेश करने के लिए सक्षम नहीं थे क्योंकि वाद संपत्ति एक संयुक्त हिंदू

परिवार की संपत्ति थी और अमर नाथ केवल एक कर्ता थे; और अंत में, पादरी यह कहने में विफल रहे कि बिक्री कानूनी आवश्यकता और परिवार के लाभ के लिए थी।

/

/

13. वादियों ने व्यथित महसूस किया और प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 15.04.1993 के निर्णय/डिक्री द्वारा अपील की अनुज्ञात , विचारण न्यायालय के फैसले/डिक्री को दरकिनार कर दिया और वादी के मुकदमे का फैसला सुनाया।

/

513

विजय ए. मित्तल बनाम कुलवंत राय (मृत) टीएचआर। एलआरएस। [अभय मनोहर सप्रे, जे।] ए.

/

14. प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के पक्ष में स्वर्गीय अमर नाथ द्वारा निष्पादित बिक्री विलेख विधि ी रूप से गलत था क्योंकि यह एक मिलीभगत से प्राप्त किया गया था ताकि वादी को उनके दिनांकित समझौते के फल से वंचित किया जा सके।यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि प्रतिवादी संख्या 2 और 3 मुकदमे की संपत्ति के वास्तविक खरीदार नहीं थे।यह भी माना गया कि मुक़दमे की संपत्ति संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति थी और अमर नाथ इसका कर्ता था।यह भी माना गया कि अमर नाथ द्वारा किया गया बिक्री समझौता सभी सह-भागीदारों के लिए बाध्यकारी था।

/

15. इसलिए, प्रतिवादियों ने व्यथित महसूस किया और उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील दायर की।आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील को खारिज कर दिया और पहले अपीलीय न्यायालय के फैसले/डिक्री को बरकरार रखा।

/

16. यह माना गया कि अमर नाथ ने संयुक्त हिंदू परिवार के कर्ता के रूप में 12.06.1979 दिनांकित समझौते को निष्पादित किया।यह भी माना गया कि समझौता अमर नाथ और उनके कानूनी प्रतिनिधियों के लिए बाध्यकारी था।17. यह इस आदेश के खिलाफ है, प्रतिवादियों ने अपील करने के लिए विशेष अनुमति में मामले को इस न्यायालय में ले गए हैं।

/

18. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और मामले के रिकॉर्ड को देखने के बाद, हम इस अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

/

19. सबसे पहले, हमारी सुविचारित राय में, जब नीचे दिए गए तीन न्यायालय ों ने प्रतिवादियों के खिलाफ और वादी के पक्ष में निर्णय दिया है कि वादी समझौते के अपने हिस्से का पालन करने के लिए तैयार और इच्छुक थे, तो यह निष्कर्ष उच्च न्यायालय और इस न्यायालय पर भी बाध्यकारी था।

/

20. वास्तव में, विचारण न्यायालय ने पहले ही वादी के पक्ष में इस निष्कर्ष को दर्ज कर लिया था, लेकिन चूंकि विचारण न्यायालय ने अन्य आधारों पर मुकदमे को खारिज कर दिया था, इसलिए प्रतिवादियों को वादी की अपील में प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रति-आपत्ति दायर करके इस निष्कर्ष को चुनौती देने का अधिकार था, लेकिन प्रतिवादियों ने ऐसा नहीं किया और इस निष्कर्ष को स्वीकार कर लिया।प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वादी के मुकदमे का आदेश देते हुए इस निष्कर्ष को चुनौती के अंतर्गत नहीं होने को बरकरार रखा और उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों की दूसरी अपील को खारिज करके इसे बरकरार रखा।

/

21. तैयारी और इच्छा के मुद्दे पर एक निष्कर्ष विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक सूट में महत्वपूर्ण और प्रासंगिक निष्कर्षों में से एक है

/

एक समझौता।यह तथ्यों पर आधारित एक खोज है और एक बार इसे दर्ज करने के बाद, यह तथ्य की खोज बन जाती है।

22. मामले के इस दृष्टिकोण में, जब तक कि ऐसा निष्कर्ष अभिवचनों के खिलाफ या साक्ष्य या मुद्दे को नियंत्रित करने वाले विधि के विपरीत नहीं पाया जाता है, यह उच्च न्यायालय और इस न्यायालय पर भी बाध्यकारी है।

/

23. अपीलार्थियों के विद्वान वकील इस निष्कर्ष में किसी भी दुर्बलता या अवैधता को इंगित करने में सक्षम नहीं थे।यह इस तथ्य के अलावा है कि अपीलकर्ता (प्रतिवादी) वादी द्वारा दायर अपील में पहले अपीलीय चरण में इसकी वैधता और शुद्धता को चुनौती देने में विफल रहे, जो चुनौती देने के लिए उचित चरण था।इसलिए यह इस न्यायालय के लिए बाध्यकारी है।24. अपीलार्थियों (प्रतिवादियों) के विद्वान वकील का दूसरा तर्क यह था कि चूंकि प्रत्यर्थियों (वादियों) ने अपनी पहली अपील में स्वर्गीय अमर नाथ के आठ कानूनी प्रतिनिधियों में से केवल कुछ कानूनी प्रतिनिधियों को शामिल किया था और शेष कानूनी प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए उन कानूनी प्रतिनिधियों के खिलाफ दीवानी मुकदमे को खारिज करने वाली विचारण न्यायालय की डिक्री, जिन्हें अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया था, अंतिम हो गई थी।

/

/

25. इसलिए, यह आग्रह किया गया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वादी द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए और उनके मुकदमे का आदेश देते हुए दो परस्पर विरोधी फरमान पारित किए हैं- एक कुछ के खिलाफ जिसने मुकदमे का आदेश दिया है और दूसरा कुछ के खिलाफ जिसके परिणामस्वरूप मुकदमे को खारिज कर दिया गया है।यह कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है।

/

26. इस निवेदन पर उच्च न्यायालय ने 5 वें महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देते हुए विचार किया और इसे खारिज कर दिया गया।हमारे विचार में, उच्च न्यायालय निम्नलिखित कारणों से सही था।

/

27. सबसे पहले, स्वर्गीय अमर नाथ के सभी कानूनी प्रतिनिधि मुकदमे में विचारण न्यायालय में पहले से ही रिकॉर्ड में थे और सभी ने वादी के खिलाफ अपने मामले के समर्थन में समान बचाव किया था।दूसरे शब्दों में, वादी के बीच उनके बीच हितों का कोई टकराव नहीं था।

/

28. दूसरा, उन कानूनी प्रतिनिधियों ने, जिन्होंने लिखित बयान दायर किया था, एक संयुक्त और सामान्य लिखित बयान दायर किया था, जबकि जिन्होंने लिखित बयान दायर नहीं किया था, उन्होंने कानूनी प्रतिनिधियों के पक्ष में अपनी शक्ति दी थी, जिन्होंने लिखित बयान दायर किया था।

/

29. तीसरा, एक कानूनी प्रतिनिधि, जिसने अपना लिखित बयान दाखिल नहीं किया, एकतरफा बना रहा।इन परिस्थितियों में, पहली अपील में उन्हें पक्षकार प्रतिवादी के रूप में शामिल करना आवश्यक नहीं था।30. चौथा, यह एक तुच्छ विधि है कि यदि सभी विधि ी प्रतिनिधियों में से, उनमें से अधिकांश पहले से ही रिकॉर्ड में हैं और उन्होंने गुण-दोष के आधार पर मामला लड़ा है, तो अन्य विधि ी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाना आवश्यक नहीं है।इसका कारण यह है कि कानूनी प्रतिनिधियों को हस्तांतरित संपत्ति और मृतक के हित का पर्याप्त प्रतिनिधित्व उन लोगों द्वारा किया जाता है जो पहले से ही रिकॉर्ड में हैं।

/

31. पाँचवाँ, प्रतिवादी, जो पहली अपील में प्रतिवादी थे, उन्होंने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष कोई आपत्ति नहीं उठाई।यदि ऐसी आपत्ति उठाई जाती, तो अपीलार्थी (वादी) उन्हें प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष पक्षकार प्रतिवादी के रूप में पेश करके दोष को दूर कर देते।

/

32. जैसा कि प्रत्यर्थियों के वकील ने सही तर्क दिया, पहली अपील में कुछ कानूनी प्रतिनिधियों को शामिल नहीं करने का कारण यह था कि उनके नाम विचारण न्यायालय के आदेश में नहीं दिखाए गए थे।यही कारण था कि वादी द्वारा पहली अपील केवल उन कानूनी प्रतिनिधियों के खिलाफ दायर की गई थी जिनके नाम डिक्री में दिखाए गए थे।

/

33. इस तथ्यात्मक परिदृश्य और ऊपर बताए गए कारणों के आलोक में, हमारी यह सुविचारित राय है कि अपीलकर्ताओं द्वारा इस आधार पर उच्च न्यायालय के समक्ष डिक्री को चुनौती देने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया था कि आक्षेपित डिक्री के परिणामस्वरूप प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा कोई परस्पर विरोधी डिक्री पारित की गई है-एक निचली अदालत द्वारा मुकदमे को खारिज करने का और दूसरा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा मुकदमे को खारिज करने का।34. अपीलार्थियों (प्रतिवादियों) के विद्वान वकील ने तब तर्क दिया कि नीचे दिए गए दो न्यायालय प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा की गई बिक्री को विधि की दृष्टि से गलत घोषित करने में उचित नहीं थे।विद्वान वकील के अनुसार, इसे प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी के समझौते को नोटिस दिए बिना विचार के लिए एक प्रामाणिक बिक्री माना जाना चाहिए था।

/

/

/

35. हम एक से अधिक कारणों से इस प्रस्तुति में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।सबसे पहले, इस मुद्दे पर निष्कर्ष अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों के खिलाफ दर्ज तथ्य का एक समवर्ती निष्कर्ष है, यही इस न्यायालय पर बाध्यकारी है।

/

516

/

[2019] 2 एस सी आर।

36. दूसरा, समवर्ती होने के अलावा निष्कर्ष अन्यथा इस कारण से हस्तक्षेप करने के लिए उत्तरदायी नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा की गई बिक्री, वादी के समझौते से बचने के लिए की गई एक मिली-जुली बिक्री थी।

37. तीसरा, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 ने यह साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया कि उनका समझौता वादी के समझौते के खिलाफ समय की दृष्टि से पहले था और इसलिए, वे अपने पूर्व समझौते के अनुसार बिक्री विलेख को निष्पादित करने के हकदार थे।

/

38. चौथा, अमर नाथ के कानूनी प्रतिनिधियों को उस बचाव को उठाने का अधिकार था जो वादी के खिलाफ अमर नाथ के लिए उपलब्ध था, इसके अलावा जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 22 नियम 4 (2) के अंतर्गत प्रदान किए गए कानूनी प्रतिनिधियों के रूप में उनके चरित्र के लिए उपयुक्त था।

/

39. पाँचवाँ, वादी केवल प्रतिवादी संख्या 1-अमर नाथ के साथ वैध समझौते के अस्तित्व और वादी द्वारा उसके प्रदर्शन को साबित करने के हकदार थे।तैयारी और इच्छा के इस निष्कर्ष को वादी के पक्ष में दर्ज किया गया था।

/

40. विचारण न्यायालय ने इस सवाल पर दो मुद्दे (7 और 8) विरचित किए थे कि क्या मुकदमे की संपत्ति अमर नाथ की संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति थी और यदि है, तो क्या अमर नाथ इसका कर्ता था या नहीं।विचारण न्यायालय ने माना कि मुक़दमे की संपत्ति संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति थी, जिसमें अमर नाथ उसका कर्ता था।

/

41. इस न्यायालय ने एक मामले में सुनील कुमार और ए. एन. आर. बनाम.राम प्रकाश और अन्य, (1988) 2 एस. सी. सी. 77 ने निम्नलिखित शब्दों में संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति से निपटने के दौरान कर्ता की स्थिति और शक्तियों की जांच की।

/

“6. इस अपील में हमें केवल इस प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए कहा गया है कि क्या अपीलकर्ताओं के पूर्ववर्ती जय भगवान के पक्ष में पहले से ही निष्पादित बिक्री समझौते के अनुसरण में संयुक्त हिंदू परिवार की घर की संपत्ति को अलग करने से संयुक्त हिंदू परिवार के कर्ता को रोकने वाले स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा**,** क्योंकि वह मृत है**,** विचारणीय है।यह अच्छी तरह से स्थापित है कि एक संयुक्त हिंदू मिताक्षर परिवार में**,** एक बेटा जन्म से पैतृक संपत्ति में पिता के बराबर ब्याज प्राप्त करता है।पिता अपने पैतृक संबंध और प्रमुख ए के रूप में अपनी स्थिति के कारण

/

/

517

विजय ए. मित्तल बनाम कुलवंत राय (मृत) टीएचआर। एलआरएस। [अभय मनोहर सप्रे, जे।] ए.

परिवार का प्रबंधक उसका प्रबंधक होता है और वह संयुक्त पारिवारिक संपत्ति को अलग करने का हकदार होता है ताकि संपत्ति में वयस्क और नाबालिग दोनों सह-भागीदारों के हितों को बांधा जा सके**,** बशर्ते कि अलगाव कानूनी आवश्यकता या संपत्ति के लाभ के लिए या पूर्ववर्ती ऋण को पूरा करने के लिए किया गया हो।एक संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति को अलग करने के लिए एक संयुक्त हिंदू परिवार के प्रबंधक की शक्ति एक शिशु उत्तराधिकारी के लिए एक प्रबंधक के समान है जैसा कि न्यायिक समिति ने हुनूमनपरसौद पांडे बनाम मुस्सूमत बाबूई मुनराज कूनवेरी **(1856) 6** मू इंड ऐप **393** में देखा था।

/

42. विधि के उपरोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए और इसे मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, हमारी यह सुविचारित राय है कि नीचे दिए गए न्यायालयों का यह मानना उचित था कि 12.6.1979 दिनांकित समझौता निम्नलिखित कारणों से अमर नाथ के विधि ी उत्तराधिकारियों पर बाध्यकारी थाः

/

43. सबसे पहले, "कानूनी आवश्यकता" के प्रश्न पर कोई मुद्दा नहीं विरचित गया था।हमारी राय में, इसे तैयार किया जाना चाहिए था; दूसरा, फिर भी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वादी की अपील को स्वीकार करते हुए एक स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया कि अमर नाथ के एक बेटे ने प्रश्न समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और इसलिए, यह एक ऐसा मामला था जहां स्वर्गीय अमर नाथ के कानूनी प्रतिनिधियों को समझौते के अस्तित्व के बारे में पता था और उन्होंने अपनी सहमति भी दी थी; और तीसरा, इस निष्कर्ष को उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादियों की अपील को खारिज करते हुए बरकरार रखा गया था।

/

/

44. संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति को बेचने के लिए कर्ता की शक्ति पर कोई विवाद नहीं कर सकता है।वास्तव में, यह उसमें अंतर्निहित है।हालाँकि, यह कुछ प्रतिबंधों के अधीन है, अर्थात्, बिक्री कानूनी आवश्यकता और परिवार के लाभ के लिए होनी चाहिए।

/

45. यह स्पष्ट है कि अमर नाथ ने वादी को वाद संपत्ति की बिक्री के लिए समझौता करने से पहले कानूनी उत्तराधिकारियों की सहमति प्राप्त की थी।यह तथ्य कि अमर नाथ के एक पुत्र ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त था कि बेचने का समझौता अमर नाथ द्वारा अन्य सह-भागीदारों की सहमति से किया गया था।इसका कारण यह भी है कि मुकदमे में लिखित बयान दाखिल होने तक किसी भी सह-पक्षकार ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी।यह तथ्य कि अमर नाथ ने वाद संपत्ति प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को बेच दी थी और जिस पर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों ने आपत्ति नहीं जताई थी, यह दर्शाता है कि कानूनी आवश्यकता के संबंध में याचिका का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं था।

/

/

46. इन सभी कारणों से, हमारा विचार है कि अपीलार्थी (प्रतिवादी) कोई भी मामला बनाने में विफल रहे हैं ताकि आक्षेपित निर्णय में किसी भी हस्तक्षेप का आह्वान किया जा सके।

47. यह हमें एक अन्य प्रश्न की जांच करने के लिए ले जाता है जो इस मामले में उत्पन्न होता है लेकिन वाद का आदेश देते समय नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया था।यह इस मामले में पारित की जाने वाली डिक्री की प्रकृति से संबंधित है।

/

48. प्रश्न इस तरह से उठता है।इस मामले में पारित डिक्री का प्रभाव यह है कि मूल प्रतिवादी संख्या 1, जिसका प्रतिनिधित्व अब उसके कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है (अपीलार्थी Nos.1-4 &7) मूल प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात (i) रीता मित्तल, (ii) आकांक्षा और (iii) अक्षय मित्तल, और प्रतिवादी संख्या 3 (इसमें अपीलकर्ता संख्या 6) के कानूनी प्रतिनिधियों के साथ मूल वादी संख्या 1, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 1 (i) सुदेश गोयल, (ii) अजय गोयल और (iii) संजय के. गोयल और

अतुल कुमार, वादी संख्या 2 (इसमें प्रतिवादी संख्या 2) के कानूनी प्रतिनिधियों के पक्ष में बिक्री विलेख को संयुक्त रूप से निष्पादित करने की आवश्यकता है।

/

49. फिर भी डिक्री का एक अन्य प्रभाव यह है कि मूल प्रतिवादी संख्या 1 के बीच वाद संपत्ति की बिक्री का लेनदेन, जिसका प्रतिनिधित्व अब उसके कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है (अपीलार्थी Nos.1-4 और 7) और प्रतिवादी संख्या 2 (यहाँ अपीलकर्ता संख्या 5), जिसका प्रतिनिधित्व अब उसके विधि ी प्रतिनिधियों और प्रतिवादी Nos.3 (यहाँ अपीलार्थी संख्या 6) द्वारा किया जाता है, को विधि में खराब घोषित किया जाता है और रद्द कर दिया जाता है।इसके परिणामस्वरूप, प्रतिवादी संख्या 1 (अपीलार्थी Nos.1-4 और 7) पक्षकारों के बीच इस संबंध में किसी भी विपरीत अनुबंध के अभाव में, अब उनके कानूनी प्रतिनिधियों और प्रतिवादी संख्या 3 (इसमें अपीलकर्ता संख्या 6) द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए मूल प्रतिवादी संख्या 2 (अपीलकर्ता संख्या 5) को Rs.48,000/- वापस करने की आवश्यकता है।इसका कारण यह है कि एक बार बिक्री खराब घोषित होने के बाद, बिक्री का लेनदेन विफल हो जाता है और इसलिए, विक्रेता (प्रतिवादी संख्या 1) को बिक्री के विचार को अपने पास रखने का कोई अधिकार नहीं है और उसे खरीदारों को बिक्री के विचार को वापस करना पड़ता है (प्रतिवादी Nos.2 और 3) [खंड देखें

/

/

/

65 भारतीय अनुबंध अधिनियम]।

50. लाला के मामले में इस न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठा

दुर्गा प्रसाद और अन्न। बनाम। दीप चंद और अन्य, ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 75

/

संविदा के विशिष्ट निष्पादन के मामले में किस प्रकार की डिक्री पारित की जानी चाहिए जहां वाद संपत्ति प्रतिवादी, यानी वाद संपत्ति के मालिक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को बेची जाती है और बाद में उसे अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक डिक्री का सामना करना पड़ता है जिसमें उसे अनुबंध की अवधि में वादी को वाद संपत्ति हस्तांतरित करने का निर्देश दिया जाता है।

/

519

विजय ए. मित्तल बनाम कुलवंत राय (मृत) टीएचआर। एलआरएस। [अभय मनोहर सप्रे, जे।] ए.

/

51. विद्वान न्यायाधीश-विवियन बोस, जे. ने इस मुद्दे की जांच की और पीठ के लिए अपनी लेखन की अनूठी शैली में बोलते हुए कहाः

"जहां एक ही संपत्ति की बिक्री किसी पूर्व और बाद के हस्तांतरणकर्ता के पक्ष में होती है और बाद के हस्तांतरणकर्ता ने अपने पक्ष में बकाया हस्तांतरण के अंतर्गत विक्रेता को खरीद-धन का भुगतान किया है, फिर पूर्व हस्तांतरणकर्ता द्वारा लाए गए विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमे में, यदि वह सफल होता है, तो ऐसे मामले में डिक्री के उचित रूप के बारे में प्रश्न उठता है।भारत में न्यायालयों की प्रथा एक समान नहीं रही है और तीन अलग-अलग विचार उभरते हैं।एक दृष्टिकोण के अनुसार, डिक्री का उचित रूप बाद की खरीद को पूर्व हस्तांतरणकर्ता और अकेले विक्रेता द्वारा सीधे हस्तांतरण के खिलाफ शून्य घोषित करना है।एक दूसरे का मानना है कि विक्रेता और विक्रेता दोनों को शामिल होना चाहिए, जबकि एक तिहाई केवल बाद के खरीदार को परिवहन के निष्पादन को सीमित करेगा।उच्चतम न्यायालय के अनुसार, डिक्री का उचित रूप विक्रेता और पूर्व हस्तांतरणकर्ता के बीच अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन को निर्देशित करना और बाद के हस्तांतरणकर्ता को हस्तांतरण में शामिल होने का निर्देश देना है ताकि वह स्वामित्व जो उसमें रहता है, उसे पूर्व हस्तांतरणकर्ता को दे सके।वह पूर्व हस्तांतरणकर्ता और उसके विक्रेता के बीच किए गए किसी भी विशेष समझौते में शामिल नहीं होता है; वह केवल अपना खिताब पूर्व हस्तांतरणकर्ता को देता है। "

/

/

/

/

52. इसलिए, हम इसे न्यायसंगत और उचित मानते हैं और पक्षों के बीच इस मुकदमे को समाप्त करने की दृष्टि से, जो 1982 से लंबित है और पक्षों के बीच समानता को संतुलित करने के लिए भी कि प्रतिवादी संख्या 1 अपने कानूनी प्रतिनिधियों (अपीलकर्ता संख्या 1-4 और 7) के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 2 (अपीलकर्ता संख्या 5) और प्रतिवादी संख्या 3 (अपीलकर्ता संख्या 6) के कानूनी प्रतिनिधियों को <ID1,000/- की राशि वापस करेगा।यह निर्देश हम एल. आई. एस. के पक्षकारों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का सहारा लेकर देते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस राशि की वसूली के लिए प्रतिवादियों के बीच भविष्य में वर्षों तक मुकदमे का एक और दौर चले।

/

/

53. पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, निर्णय और डिक्री को निम्नानुसार संशोधित करके अपील का निपटारा किया जाता हैः

/

(i) प्रतिवादी संख्या 1 (अपीलार्थी Nos.1-4 और 7) के कानूनी प्रतिनिधि रुपये की राशि जमा करेंगे। 48, 000/- निष्पादन न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात (i) रीता मित्तल, (ii) आकांक्षा और (iii) अक्षय मित्तल और प्रतिवादी संख्या 3 (इसमें अपीलकर्ता संख्या 6) के कानूनी प्रतिनिधियों को बाहरी सीमा के रूप में तीन महीने के भीतर भुगतान करने के लिए।

((ii) मूल वादी सं. 1, (प्रतिवादी सं. 1 यहाँ) अर्थात (i) सुदेश गोयल, (ii) अजय गोयल, और (iii) संजय के. गोयल और अतुल कुमार, वादी सं. 2 (प्रतिवादी सं. 2 यहाँ) के कानूनी प्रतिनिधि, मूल प्रतिवादी सं. 1 (अपीलार्थी सं. 4 और 7 यहाँ) के कानूनी प्रतिनिधियों को तीन महीने के भीतर बाहरी सीमा के रूप में भुगतान करने के लिए निष्पादन न्यायालय में Rs.41,000/- की राशि जमा करेंगे।

/

/

(iii) मूल प्रतिवादी संख्या 1, जिसका प्रतिनिधित्व अब उसके कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है (अपीलार्थी Nos.1-4 &7) मूल प्रतिवादी संख्या 2 और प्रतिवादी संख्या 3 (इसमें अपीलकर्ता संख्या 6) के कानूनी प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त रूप से मूल वादी संख्या 1 के कानूनी प्रतिनिधियों के पक्ष में बिक्री विलेख को निष्पादित करेंगे, यानी इसमें प्रतिवादी संख्या 1 सुदेश गोयल, (ii) अजय गोयल और (iii) संजय के. गोयल और अतुल कुमार, वादी संख्या 2 (इसमें प्रतिवादी संख्या 2) और उन्हें सूट संपत्ति का कब्जा एक साथ सौंप देंगे और फिर न्यायालय में उनके लिए जमा किए गए धन को वापस ले लेंगे।

/

54. निष्पादन न्यायालय निर्धारित समय के भीतर कार्यवाही को पूरा करना सुनिश्चित करेगा और विधि के अनुसार डिक्री की उचित संतुष्टि दर्ज करेगा।किसी भी चूक के मामले में, पक्षकार चूक करने वाले पक्षों के बीच इस न्यायालय की डिक्री की शर्तों को लागू करने के लिए डिक्री को निष्पादित करने के हकदार होंगे।

/

55. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अपील का निपटारा कर दिया गया है।

/

अपील का निपटारा किया गया।

/

/